RNI No. MAHBIL/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ८, अंक २१(२)] गुरुवार, डिसेंबर २२, २०२२/पौष १, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **२२ दिसंबर, २०२२** ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :--

L. A. BILL No. XXXV OF 2022.

A BILL

TO AMEND THE REGULARISATION OF UNAUTHORISED DEVELOPMENT IN THE CITY OF ULHASNAGAR ACT, 2006.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३५ सन् २०२२ ।

उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, २००६ में संशोधन।

सन् २००६ का ९। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, २००६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए । संक्षिप्त नाम ।

सन् २००६ का महा.९ की धारा ३ में संशोधन । **२.** उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण अधिनियम, २००६ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (३) के खण्ड (क) में,— सन् २००६ का महा. ९।

"(१) "निचे दी गई तालिका के अनुसरण में, निर्धारित" शब्दों के स्थान में "जैसा कि विहित किया जाए" शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) फीस की तालिका अपमर्जित की जायेगी।

सन् २००६ का महा. ९ की धारा ४ में संशोधन । **३.** मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (३) के खण्ड (क) के परंतुक में, "४.०० से अधिक फर्श क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आय)" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान में, "उल्हासनगर शहर के नगर निगम को यथा प्रयुक्त महाराष्ट्र एकीकृत विकास नियंत्रण और उन्नयन विनियमन में यथा विनिर्दिष्ट फर्श क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आय)" शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण अधिनियम, २००६ (सन् २००६ का महा.९), उल्हासनगर शहर में अनधिकृत संरचना के अधिभोगियों की दयनीयता को कम करने उपाय के साथ उल्हासनगर शहर में अनधिकृत सन्निर्माण के नियमितिकरण के लिए एक बारगी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था।

उल्हासनगर शहर में अनधिकृत संन्निर्माण के नियमितिकरण के लिए नागरिकों से पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिला था, इसलिए, उक्त अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन करने की सिफारिश देने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी। उक्त समिति ने, प्रशमन फीस के दर घटाने और उसे एकीकृत विकास नियंत्रण और उन्नयन विनियमन के अधीन विनिर्दिष्ट फर्शी क्षेत्र सूचकांक (एफ.एस.आय.) लागू करने के सुझाव दिए थे। सरकार ने, उक्त समिति की सिफारिशें स्वीकृत की है।

२. उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये सरकार उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण अधिनियम, २००६ की, धारा ३ की, उप-धारा (३) और धारा ४ की, उप-धारा (३) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपुर, **एकनाथ शिंदे,**

दिनांकित २१ दिसंबर, २०२२ । मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३ (एक). इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, उल्हासनगर शहर में अनधिकृत विकासों का नियमितिकरण अधिनियम, २००६ के अधीन अनधिकृत विकासों का नियमितीकरण के लिए प्रशमन फीस नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

३. विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित २२ दिसंबर, २०२२ ।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.